Shaikshik Parisamvad (An International Journal of Education)
SPIJE, ISSN 2231 – 2323 (Print), 2231 – 2404 (Online)
Vol. 5, No. 1, January 2015, pp - 0- 9.

f'k{kk dk vf/kdkj vf/kfu;e ds rgr fo|ky; izcU/ku lfefr }kjk viu mÙkjnkf;Rokas ds fuoZgu gsrq viuk;h x;h ;qfDr;ksa dk v/;;u

Ajay Kumar Singh, Research Scholar, Faculty of Education (K) BHU

Dr. H.C.S. Rathore, Professor, Faculty of Education (K) BHU.

Abstract

The School Management Committee (SMC) has a crucial role in the effective implementation of RTE Act at School level. The Success of RTE Act depends upon the issue, "how effectively the SMC members perform their responsibilities. This study explored the strategies adopted by the committee in order to perform duty under RTE Act. The data was collected from 311 members of SMC of primary and upper primary school of Varanasi (U.P.) using self-constructed questionnaire. The collected data was analysed and reported in this study which manifests the ground realities about functioning of SMC under Act.

Key-words: RTE Act, SMC Members, Responsbilities.

भारतवर्ष प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी केन्द्र रहा है क्योंकि यहां पर प्रारम्भ से ही एक व्यवस्थित शैक्षिक प्रणाली विकसित थी। समय के साथ बदलती परिस्थितियों एवं नीतियों के कारण शैक्षिक प्रणाली में निरन्तर बदलाव आते रहे। विजन 2020 में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा की होगी, और शिक्षा में भी विशेषकर प्रारम्भिक शिक्षा की क्योंकि प्रारम्भिक शिक्षा ही जीवन का आधार तैयार करती है और यह आधार जितना ही मजबूत होगा उँचाई उसी अनुपात में निर्धारित होगी। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु कई योजनाएं एवं नीतियां अमल में लायी गयी किन्तु फिर भी किन्हीं कारणवश निर्धारित लक्ष्य नहीं पाया जा सका। अतः सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से देश में लागू किया गया।

किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था का एक मुख्य पक्ष उसका व्यवस्थापन या प्रबन्धन होता है। सामान्यतः यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी कार्य के सफल सम्पादन में जन सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी को मूर्त रुप देने लिये सन् 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित किया गया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के गठन का सुझाव दिया गया। 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सम्बन्धित कार्यनीति में विद्यालय प्रबन्धन विषय के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत नियोजन एवं प्रबन्धन पर बल दिया गया एवं उसमें जनसमुदाय की भागीदारी की बात कही गयी। इसी क्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में भी विद्यालय के सतत् एवं व्यवस्थित संचालन हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें तीन चौथाई सदस्य बच्चों के अभिभावक होते है। अधिनियम में समिति को कई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं; जिसमें मुख्य रुप से विद्यालय प्रबन्ध समिति विद्यालय की कार्यप्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग के अनुश्रवण इत्यादि कृत्यों का सम्पादन करेगी जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य–समुहों का गठन कर सकती है।

प्रस्तुत शोध कार्य के संदर्भ में अब तक जो अध्ययन प्राप्त हुए है वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

© 2015 AAEBHU

के तहत् गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति से सम्बन्धित न होकर सरकारी आदेशों के तहत् गठित समितियों एवं समुदाय सहयोग या स्व प्रबन्धन से सम्बन्धित अध्ययन है। विद्यालय के सतत् संचालन हेतु गठित समितियों से सम्बन्धित अध्ययनों में गनपति (2007), रॉव (1999) ने अपने अध्ययन में पाया है कि समिति के प्रयासों के परिणाम स्वरुप बालकों के नामांकन में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त गनपति (2007) ने अपने अध्ययन में यह भी पाया कि विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति के सदस्यों तथा अभिभावकों के नियमित पर्यवेक्षण के कारण शिक्षकों की नियमितता में वृद्धि हुई एवं विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति के अधिकांश सदस्य एवं लगभग सभी अभिभावकों ने स्कूल द्वारा आयोजित पाठ्यसहगामी क्रियाओं में नियमित सहभागिता प्रदर्शित की। रॉव (1999) तथा दुग्गल (2005) के अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि समिति द्वारा धारण, विद्यालय विकास एवं सुधार के लिये विभिन्न गतिविधियों या कार्यक्रमों का आयोजन किया गया एवं इस कार्य में काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की गई। इसी क्रम में अग्निहोत्री एवं रस्तोगी (2007) ने अपने अध्ययन में पाया कि समग्रतः न्यादर्ष में चयनित विद्यालयों की ग्राम षिक्षा समितियाँ औसत रूप से अपने प्रषासनिक दायित्वों, षैक्षिक तथा वित्तीय दायित्वों की प्रतिपूर्ति क्रमषः 52ण36ः, 30ण68 ः तथा 68ण56 तक करती हैं।

जबकि इसके विपरीत कई ऐसे अध्ययन भी प्राप्त हुए है जिनके परिणाम समिति की भूमिका के नकारात्मक पक्ष की ओर संकेत करते है जो निम्नलिखित है– dekj ¼2007½ ने अपने अध्ययन में पाया कि जहाँ राज्य में शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य अनुशासनहीनता एवं अनुपस्थिति का दर ऊँचा है वहाँ पर विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा इन तथ्यों का अनदेखा कर दिया जाता है एवं उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है। यद्यपि विद्यालय के निर्माण सम्बन्धी बिन्दुओं या मुद्दो पर चर्चा तो की जाती है परन्तु अधिकांश विद्यालयों में आधारभूत सुविधओं का अभाव है, एवं कुछ विद्यालय तो ऐसे है जिनकी स्थिति मानक के अनुसार अत्यनत दयनीय हैं। इसकी पुष्टि ;lQ ¼1995½ के अध्ययन से भी होती है जिसमें उन्होंने पाया कि विद्यालय प्रबन्धन समिति और PTA बिना किसी प्रसाशनिक अधिकारों के कार्य कर रहे हैं। विद्यालय प्रबन्धन समिति के सचिव (प्रधानाध्यापक) बैठकों को नियमित एवं सुचारू रूप सं चलाने का प्रयास नहीं करते हैं। इसी क्रम में ekfgr ¼2000½] vxoky ,o >k ¼2001½] बेटागिरी ¼2003½ तथा Rathinam ¼2008½ ने भी अपने अध्ययन में पाया कि विद्यालय के संचालन हेतु गठित ग्राम शिक्षा समिति प्रभावी ढंग सं कार्य नहीं कर रही है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रारम्भिक शिक्षा के संदर्भ में किसी भी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में विद्यालय के सतत् संचालन हेतु बनायी गई समितियों की मुख्य भूमिका होती है। अतः इसी क्रम में वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् प्रत्येक विद्यालय में गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में निम्न प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है कि –

क्या विद्यालय प्रबन्धन समिति अपने उत्तरदायित्वों को समझती है ?

क्या विद्यालय प्रबन्धन समिति अपने उत्तरदायित्वों का ठीक ढंग से निर्वहन कर रही है ?

क्या विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु अपनायी गयी युक्तियां सही और प्रभावशाली है ?

यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका शोध आधारित उत्तर विद्यालय प्रबन्धन समिति की भूमिका और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में समिति की भूमिका के मूल्यांकन हेतु आवश्यक है।

अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन यह ज्ञात करने के लिये किया गया कि विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् प्रदत्त अपने उत्तरदायित्वों के क्रियान्वयन हेतु किन–किन युक्तियों एवं तकनीकों को अपनाया जाता हैं।

v/;;u dk mís";

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य वाराणसी जनपद के प्रारम्भिक विद्यालयों में गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति

के सदस्यों द्वारा उन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त कार्यों (विद्यालय से सम्बन्धित) के क्रियान्वयन की युक्तियों का अध्ययन करना।

v/;;u fof/k

प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य की प्रकृति को देखते हुए अनुसंधान हेतु सर्वेक्षण विधि को अपनाया गया।

tul[;k

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में अवस्थित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2012–13 में गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को जीवसंख्या के रूप में सम्मिलित किया गया था।

izfrn'kZ ,oa izfrn'kZu fof/k

प्रस्तुत अध्ययन में परिभाषित जनसंख्या से प्रतिदर्श के रूप में प्रारम्भिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय (शहरी एवं ग्रामीण) का चयन यादृच्छिक गुच्छ प्रतिदर्शन विधि (Random Cluster Sampling) द्वारा किया गया। प्रतिदर्श चयन हेतु शहरी क्षेत्र के दो खण्ड एवं ग्रामीण क्षेत्र के चार ब्लाकों से क्रमशः दो प्राथमिक विद्यालय दो उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं दो अनुदानित उच्च प्राथमिक विद्यालय को लिया गया। तत्पश्चात प्रत्येक विद्यालय में गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को प्रतिदर्श के रूप में चयन किया गया जिनकी कुल संख्या 540 थी, जिसमें से 311 सदस्यों ने प्रतिउत्तर दिया।

midj.k

प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के संकलन हेतु शोधार्थी द्वारा एक अर्द्ध संरचित प्रश्नावली निर्मित की गयी। प्रत्येक प्रश्न के दो भाग थे। प्रथम भाग में प्रबन्धन समिति के सदस्यों को "हाँ, नहीं और मालूम नहीं" विकल्प में से एक का चयन करना था। जिनका उत्तर 'हाँ' होता था उन्हें प्रश्न के दूसरे भाग में दी गई तीन युक्तियों में से उस युक्ति को भी चुनना होता था जो दिये गये उत्तरदायित्व को निभाने हेतु अपनाते हैं। यदि दी गई तीन युक्तियों से पृथक युक्ति अपनाते हैं तो अन्य विकल्प चार के अर्न्तगत वर्णन करने का अवसर दिया गया था। प्रश्नावली में कुल आठ प्रश्न थे। प्रश्नावली की परिक्षण पुनः परिक्षण विधि द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात की गयी थी और इसका गुणांक .82 स्थापित हुआ था।

vkadM+k lxg.k

प्रस्तुत अध्ययन में सार्थक आँकड़ो के संकलन हेतु विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से सम्पर्क कर विद्यालय में गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों की सूची प्राप्त करके समिति के सदस्यों से सम्पर्क कर विनम्रतापूर्वक प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया देने के लिए आग्रह किया गया।

lkf[;dh; vu'khyu

प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत के द्वारा किया गया।

vkadM+ksa dk fo'ys"k.k ,oa 0;k[;k

विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा अपनायी जाने वाली युक्तियों के अध्ययन हेतु प्रश्नावली में कुल आठ प्रश्न थे जिनका विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत कर व्याख्या की जा रही है।

1- D;k fo|ky; izcU/ku lfefr }kjk fo|ky; dh dk;Z i.kkyh dk vuJo.k ¼fuxjkuh½ fd;k tkrk g\

rkfydk l[;k % 1-1 & fo|ky; dh dk;Z iz.kkyh dk vuqJo.k

प्रतिक्रिया	हाँ	नहीं	मालूम नहीं
N = 311	288	02	21
izfr'kr ¼%½	**92.60**	**0.64**	**6.75**

rkfydk l[;k % 1-2 & fodYiksa dk fooj.k

क्रम संख्या	विकल्प	N	izfr'kr ¼%½
1	समिति के सदस्यों द्वारा स्वयं निगरानी की जाती है।	187	**60.12**
2	विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों की सहायता से।	131	**42.12**
3	विद्यालय के बच्चों की सहायता से।	45	**14.46**
4	अन्य..................................	00	**00**

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सम्मिलित विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों में से 92.6 प्रतिशत सदस्यों ने 'हाँ' में उत्तर दिया जबकि 6.75 प्रतिशत सदस्यों द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली के संदर्भ में अनभिज्ञता जाहिर की गयी । 0.64 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार सदस्यों द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली की निगरानी नहीं की गयी। जिन 288 विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों ने निगरानी करना स्वीकार किया उनमें से 60 प्रतिशत सदस्यों का यह मानना था कि समिति के सदस्यों द्वारा स्वयं निगरानी की गयी। 42 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार विद्यालय की कार्य प्रणाली की निगरानी प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों की सहायता से एवं 14 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार विद्यालय के बच्चों की सहायता से निगरानी का कार्य किया गया। जबकि चौथे विकल्प के रूप में किसी भी सदस्य ने अनुश्रवण कार्य के संदर्भ में किसी भी अन्य युक्ति की जानकारी नहीं दी।

परिणाम तालिका 1.1 एवं 1.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली की निगरानी के सम्बन्ध में अधिकांश सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि अनुश्रवण कार्य समिति के सदस्यों द्वारा स्वयं किया गया। अतः स्पष्ट है कि इस कार्य को वे लोग स्वयं की जिम्मेदारी मानते है और महत्व देते है। जबकि इसके विपरीत कुछ सदस्य अनुश्रवण कार्य में विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं बच्चों की सहायता लेने को स्वीकार करते हैं।

2 & D;k fo|ky; izcU/ku lfefr }kjk fo|ky; fodkl ;kstuk dk fuekZ.k fd;k tkrk gS\

rkfydk l[;k % 1-3

प्रतिक्रिया	हाँ	नहीं	मालूम नहीं
उत्तरदाताओं की संख्या = 311	247	05	59
Ikfr'kr	**79.42**	**1.60**	**18.97**

rkfydk l[;k % 1-4 & fodYiksa dk fooj.k

क्रम संख्या	विकल्प	N	Ikfr'kr ¼%½
11	प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन	88	28.29
22	अध्यापक,प्रधानाध्यापक एवं अंशकालिक अनुदेशकों की संख्या	35	11.25
33	विद्यालय एवं बच्चों से सम्बन्धित मूलभूत आवश्यकता	218	70.09
44	अन्यः आने वाले 3 वर्षों के लिये वित्तीय आवश्यकता पर ध्यान	06	1.92

तालिका संख्या 1.3 एवं 1.4 से स्पष्ट है कि समिति के सदस्यों में से 79.42 प्रतिशत सदस्य विद्यालय की विकास योजना के निर्माण में योगदान करते है। जबकि 18.97 प्रतिशत सदस्यों द्वारा विद्यालय विकास योजना के संदर्भ में अनभिज्ञता जाहिर की गयी। 1.60 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण नहीं किया गया। विभिन्न विकल्पों के प्रतिउत्तरों (247) के आधार पर स्पष्ट होता है कि 28.29 प्रतिशत सदस्यों का यह मानना है कि योजना में प्रतिवर्श के लिए कक्षावार नामांकन पर ध्यान दिया गया। 11.25 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार अध्यापक, प्रधानाध्यापक एवं अंशकालिक अनुदेशकों की संख्या पर, 70.09 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार योजना में विद्यालय एवं बच्चों से सम्बन्धित मूलभूत आवश्यकताओं पर तथा जबकि चौथे विकल्प के रूप में 1.92 प्रतिशत सदस्यों ने स्वीकार किया है कि योजना में तीन वर्श की अवधि के लिए वर्शवार अतिरिक्त वित्तिय आवश्यकता पर ध्यान दिया गया।

3 & D;k fo|ky; iclU/ku lfefr }kjk j[k&j[kko dk vuJo.k vf/kfu;e }kjk fu/kkfjr ekudk d vu#i ¼fuxjkuh½ fd;k tkrk g \

rkfydk l[;k % 1-5

प्रतिक्रिया	हाँ	नहीं	मालूम नहीं
उत्तरदाताओं की संख्या = 311	283	02	26
प्रतिशत	90.99	0.64	8.36

rkfydk l[;k % 1-6 fodYik dk fooj.k

क्रम संख्या	विकल्प	N	ifr'kr ¼%½
1	प्रधानाचार्य से सूचना प्राप्त करके।	161	51.7
2	समिति द्वारा स्वयं कार्यवाही पंजिका एवं रखरखाव की सूची बनायी जाती है।	70	22.50
3	निर्धारित मानकों के संदर्भ में समय–समय पर विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है।	141	45.33
4	अन्य..	40	12.86

तालिका संख्या 1.5 एवं 1.6 से स्पष्ट है कि समिति के 90.99 प्रतिशत सदस्य मानते है कि अधिनियम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरुप रख–रखाव का अनुश्रवण (निगरानी) किया गया, जबकि 8.36 प्रतिशत सदस्यों ने इस संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की। 0.64 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार अधिनियम द्वारा निर्धारित मानकों के रख–रखाव का अनुश्रवण (निगरानी) सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता है। विभिन्न विकल्पों के प्रतिउत्तरों (283) के आधार पर ज्ञात होता है कि समिति के 51.76 सदस्यों द्वारा अधिनियम में निर्धारित मानकों के अनुरुप रख–रखाव की निगरीनी का कार्य प्रधानाचार्य से सूचना प्राप्त करके किया गया। 22.50 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार निगरानी हेतु समिति द्वारा स्वयं कार्यवाही पंजिका एवं रख–रखाव की सूची बनायी गयी तथा 45.33 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार निर्धारित मानकों के संदर्भ में समय–समय पर विद्यालय का निरीक्षण किया गया।। चौथे खुले विकल्प के रूप में 12.86 प्रतिशत सदस्यों ने स्वीकार किया है कि विद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की सहायता से निर्धारित मानकों के रख–रखाव का अनुश्रवण (निगरानी) किया गया।

4 & D;k fo|ky; iclU/ku lfefr }kjk fo|ky; e e/;kà Hkktu ;ktuk dk;Øe dk vuJo.k ¼fuxjkuh½ fd;k tkrk g \

rkfydk l[;k % 1-7

प्रतिक्रिया	हाँ	नहीं	मालूम नहीं
उत्तरदाताओं की संख्या = 311	302	09	00
प्रतिशत	97.10	2. 9	00

rkfydk l[;k % 1-8 fodYik dk fooj.k

क्रम संख्या	विकल्प	N	ifr'kr ¼%½
1	समिति के सदस्यों द्वारा स्वयं मध्याह्न भोजन की निगरानी की जाती है।	214	. 1
2	निरीक्षण के लिए मध्याह्न भोजन समिति का गठन किया जाता है।	96	30.
3	बच्चों की सहायता से।	141	45.33
4	अन्य..........................	36	11.57

तालिका संख्या 1.7 एवं 1.8 से स्पश्ट है कि समिति के सदस्यों में से 97.10 प्रतिशत सदस्यों ने 'हाँ' में उत्तर दिया जबकि 2.89 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार समिति द्वारा विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम का अनुश्रवण (निगरानी) नहीं किया गया। विभिन्न विकल्पों के प्रतिउत्तर (302) के आधार पर स्पश्ट है कि समिति के 68.81 प्रतिशत सदस्यों द्वारा विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम की निगरानी की गयी और 30.86 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार निरीक्षण के लिए गठित मध्याह्न भोजन समिति की सहायता से यह कार्य किया गया तथा 45.33 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार बच्चों की सहायता से निगरानी कार्य किया गया। चौथे खुले विकल्प के रूप में 11.57 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता से मध्याह्न भोजन की निगरानी कार्य किया गया।

5 & D;k fo|ky; icU/ku lfefr }kjk e/;kà Hkkstu dh xq.koRrk lqfuf'pr djus dk dk;Z fd;k tkrk gS\

rkfydk l[;k % 1-9

प्रतिक्रिया	हाँ	नहीं	मालूम नहीं
उत्तरदाताओं की संख्या = 311	292	04	15
प्रतिशत	93.89	1.28	4.82

rkfydk l[;k % 1-10 fodYik dk fooj.k

क्रम संख्या	विकल्प	N	ifr'kr ¼%½
1	निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन की खाद्य–सामग्री एवं मात्रा की जाँच की जाती है।	238	7 .52
2	समय–समय पर समिति के सदस्यों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है।	119	3 .2
3	सदस्यों द्वारा स्वयं भोजन की गुणवत्ता की जाँच चखकर की जाती है।	125	40.19
4	अन्य......................	04	1.2

तालिका संख्या 1.9 एवं 1.10 से स्पश्ट है कि समिति के 93.89 प्रतिशत सदस्यों ने भोजन की गुणवत्ता की जाँच करना स्वीकार किया जबकि 4.82 प्रतिशत सदस्यों ने समिति द्वारा मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की। 1.28 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार समिति द्वारा विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का कार्य नहीं किया गया। विभिन्न विकल्पों के प्रतिउत्तरों (292) के आधार पर स्पश्ट है कि समिति द्वारा मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के संबंध में 76. 52 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार समिति के सदस्यों द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन की खाद्य–सामग्री एवं मात्रा की जाँच की गयी। 38.26 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार समय–समय पर समिति के सदस्यों द्वारा स्वयं औचक निरीक्षण किया गया तथा 40.19 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार सदस्यों द्वारा भोजन की गुणवत्ता की जाँच स्वयं चखकर की गयी। चौथे विकल्प के रूप में 1.28 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार सहखातेदार द्वारा निरिक्षण किया गया।

6 & D;k fo|ky; izcU/ku lfefr }kjk izkIr vuqnku ,oa 0;; dk vuqJo.k ¼fuxjkuh½ fd;k tkrk gS \

rkfydk l[;k % 1-11

प्रतिक्रिया	हाँ	नहीं	मालूम नहीं
उत्तरदाताओं की संख्या =	311 298	01	12
प्रतिशत	95.81	.32	3.85

rkfydk l[;k % 1-12 fodYiksa dk fooj.k

क्रम संख्या	विकल्प	N	izfr'kr ¼%½
1	विद्यालय के अभिलेखों के माध्यम से।	1 5	53.05
2	प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों को इसकी जिम्मेदारी सौप दी जाती है।	100	32.15
3	समिति के सदस्यों द्वारा बनायी गयी एक जाँच समिति द्वारा।	117	37. 2
4	अन्य.....	27	.

तालिका संख्या 1.11 एवं 1.12 से स्पश्ट है कि समिति 95.81 प्रतिशत सदस्यों ने 'हाँ' में उत्तर दिया जबकि 3.85 प्रतिशत सदस्यों ने समिति द्वारा प्राप्त अनुदान एवं व्यय के अनुश्रवण (निगरानी) के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की। .32 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार समिति द्वारा प्राप्त अनुदान एवं व्यय का अनुश्रवण (निगरानी) कार्य नहीं किया गया। विभिन्न विकल्पों के प्रतिउत्तरों (298) के आधार पर स्पश्ट है कि 53.05 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार विद्यालय के अभिलेखों के माध्यम से अनुश्रवण किया गया। 32.15 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों को इसकी जिम्मेदारी सौप दी गयी तथा 37.62 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार समिति के सदस्यों द्वारा बनायी गयी एक जाँच समिति द्वारा अनुश्रवण किया गया। चौथे विकल्प के रूप में 8.68 प्रतिशत सदस्यों ने स्वीकार किया है कि ग्राम प्रधान एवं अभिभावकों के माध्यम से अनुश्रवण किया गया।

7 & D;k fo|ky; izcU/ku lfefr }kjk fo|ky; fodkl ;kstuk r;kj djus ds lUnHkZ esa dksbZ le;&lhek fuf'pr dh x;h gS \

rkfydk l[;k 1-13

प्रतिक्रिया	हाँ	नहीं	मालूम नहीं
उत्तरदाताओं की संख्या = 311	270	03	38
प्रतिशत	86.81	0.96	12.21

rkfydk l[;k 1-14 % fodYiksa dk fooj.k

क्रम संख्या	विकल्प	N	izfr'kr ¼%½
1	आवश्यकतानुसार।	139	51.48
2	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व।	95	35.18
3	अध्यापकों को इसकी जिम्मेदारी सौप दी जाती है।	39	14.44
4	अन्य.....	09	3.33

तालिका संख्या 1.13 एवं 1.14 से स्पष्ट है कि 86.81 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करने हेतु समय–सीमा निश्चित की जाती है। 12.21 प्रतिशत सदस्यों ने समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार करने के समय–सीमा के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की। लगभग एक प्रतिशत सदस्य ऐसे भी थे जिनका मानना था कि विकास योजना तैयार करने के सन्दर्भ में कोई समय–सीमा निश्चित नहीं की गयी। विभिन्न विकल्पों के प्रतिउत्तरों के आधार पर ज्ञात हुआ कि समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार करने की समय–सीमा के संबंध में 51.48 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार आवश्यकतानुसार विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है। 35.18 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार की गयी तथा 14.14 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार अध्यापकों को इसकी जिम्मेदारी सौप दी गयी। चौथे विकल्प के रूप में 3.33 प्रतिशत सदस्यों ने स्वीकार किया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम छः माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार की गयी।

8 & f'k{kk dk vf/kdkj vf/kfu;e esa fo|ky; izcU/ku lfefr ds lUnHkZ esa of.kZr dk;Z ,oa nkf;Roksa ds fuokZgu gsrq D;k fo|ky; izcU/ku lfefr ds lnL;ksa dks izf'k{k.k fn;k x;k \

rkfydk la[;k % 1-15

izfrfØ;k / प्रतिक्रिया	हाँ	नहीं	मालूम नहीं
उत्तरदाताओं की संख्या = 311	261	06	44
izfr'kr	**83.92**	**1.92**	**14.14**

rkfydk la[;k % 1-16 fodYiksa dk fooj.k &

क्रम संख्या	विकल्प	N	izfr'kr ¼%½
1	बी0 आर0 सी0 पर ब्याख्यान एवं प्रयोग द्वारा।	192	1.73
2	विद्यालय पर ब्याख्यान द्वारा।	31	9.9
3	शंकुल स्तर पर ब्याख्यान एवं प्रयोग द्वारा।	119	3 .2
4	अन्य..............................	09	2. 9

तालिका संख्या 1.15 एवं 1.16 से स्पष्ट है कि 83.92 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया जबकि 14.14 प्रतिशत सदस्यों ने अधिनियम में विद्यालय प्रबन्धन समिति के सन्दर्भ में वर्णित कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु सदस्यों के प्रशिक्षण के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की। 1.92 प्रतिशत सदस्य ऐसे भी थे जिनका मानना था कि किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। विभिन्न विकल्पों के प्रतिउत्तरों (261) के आधार पर पाया गया कि 61.73 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार बी0 आर0 सी0 पर ब्याख्यान एवं प्रयोग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। 9.96 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार विद्यालय पर ब्याख्यान द्वारा तथा 38.26 प्रतिशत सदस्यों के अनुसार शंकुल स्तर पर ब्याख्यान एवं प्रयोग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। चौथे विकल्प के रूप में 2.89 प्रतिशत सदस्यों ने स्वीकार किया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर व्याख्यान के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

fu"d"kZ

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत् विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को प्रदत्त उत्तरदायित्वों के क्रियान्वयन हेतु उनके द्वारा अपनायी गयी युक्तियों एवं तकनीकों के अध्ययन से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट हैं कि विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली की निगरानी कर रहे अधिकांश सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि अनुश्रवण कार्य किया जाता है एवं यह कार्य समिति के सदस्यों द्वारा स्वयं किया गया। परिणामों से यह भी ज्ञात होता है कि अधिकांश सदस्य विद्यालय की विकास योजना में विद्यालय एवं बच्चों से सम्बन्धित मूलभूत आवश्यकताओं पर सबसे अधिक ध्यान देते है। अधिनियम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार रख–रखाव की निगरानी के संबंध में अधिकांश प्रधानाचार्य से सूचना प्राप्त कर समय–समय पर विद्यालय का निरीक्षण करते

हैं एवं इस युक्ति को सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम के निगरानी के संबंध में पाया गया कि अधिकांश सदस्य इस कार्य हेतु सबसे अधिक स्वयं तथा बच्चों की सहायता से निरीक्षण की युक्ति को अपनाते हैं। मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के संबंध में अधिकांश सदस्यों का यह भी मानना था कि अधिकांश तौर पर निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन की खाद्य–सामग्री एवं मात्रा की जाँच की युक्ति को अपनाया जाता है। विद्यालय को प्राप्त अनुदान एवं व्यय की निगरानी करने के संबंध में अधिकांशतः सदस्यों द्वारा इस कार्य को विद्यालय के अभिलेखों के माध्यम से निरीक्षण कार्य किया जाता है। विद्यालय विकास योजना तैयार करने के लिये अधिकांश सदस्यों का मानना था कि इस कार्य हेतु समय–सीमा निश्चित की जाती है लेकिन इसक विपरीत अधिकांश सदस्यों का यह भी मानना था कि यह कार्य आवश्यकतानुसार किया जाता है। केवल एक तिहाई सदस्य ही यह स्वीकार करते है कि यह कार्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व किया जाता है। अधिनियम में विद्यालय प्रबन्धन समिति के सन्दर्भ में वर्णित कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु सदस्यों के प्रशिक्षण के संबंध में अधिकांश सदस्य यह स्वीकार करते है कि प्रशिक्षण दिया जाता है एवं यह कार्य बी0 आर0 सी0 पर व्याख्यान एवं प्रयोग विधि द्वारा दिया जाता है।

foopuk

उपरोक्त लिखित परिणामों एवं निष्कर्षों से स्पष्ट है कि "शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 में प्राथमिक विद्यालयों की निगरानी हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति की जो संकल्पना की गई एवं इस समिति के जिन उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया, उन उत्तरदायित्वों के प्रति प्रबन्धन समितियाँ न केवल जागरूक है अपितु वे सक्रिय रुप से अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परन्तु यहां यह प्रश्न भी खड़े होते है कि निगरानी के इस विकेन्द्रीकरण का शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर क्या प्रभाव पड़ा ? क्या इस निगरानी व्यवस्था से विद्यालयों की शैक्षिक प्रदेयता (Delivery) में गुणात्मक सुधार हुआ है ? क्या इसके परिणाम स्वरूप विद्यालयों में Retetion Rate में बढ़ोत्तरी हुई है ? क्या शिक्षकों का दायित्व बोध एवं व्यावसायिक जिम्मेदारी निखरी है ? इन प्रश्नों का उत्तर भविष्य में शोध से प्राप्त होगा।

इस शोध कार्य के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह अवश्य स्पष्ट हुआ कि विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्य इस कार्य हेतु न केवल उत्साहित प्रतीत हुये बल्कि वे इसे और अच्छे एवं प्रभावी ढ़ंग से करने की चाहत रखते भी दिखे। अतः आवश्यकता राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने की है जिसमें विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को विद्यालय प्रबन्धन एवं निरिक्षण के गुर सिखाने के साथ–साथ उनकें उत्तरदायित्वों एवं भूमिका का और प्रभावी प्रशिक्षण मिले। अनुभव बताता है कि इतने बड़ें देश में प्राथमिक शिक्षा की निगरानी की कोई भी सरकारी व्यवस्था आज तक वांछित परिणाम नहीं दे सकी है। अतः विकेन्द्रकरण कर विद्यालय प्रबन्धन समिति की जो संकल्पना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मे की गयी है वो उचित एवं दूरगामी निर्णय है। इस संस्था को और मजबूत एवं प्रशिक्षित करने की है। यदि ऐसा किया गया तो निश्चित ही जन समूह की शिक्षा के प्रति चेतना और उत्तरदायित्व बोध बढ़ेंगा और हम शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगे।

l>ko

परिणामों के विश्लेषण के पश्चात् सुझाव इस प्रकार है–

1 विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अन्य उपयुक्त व्यक्तियों से सहायता अवश्य लेनी चाहिए।

2 समिति के सदस्यों द्वारा नियमित अन्तराल पर विद्यालय के सम्बन्ध में अधिनियम द्वारा निर्धारित मानकों का अनुश्रवण अवश्य किया जाना चाहिए।

3 मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु मध्यान्ह भोजन समिति द्वारा औचक निरीक्षण कर भोजन की

गुणवत्ता के सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जाये।

4 विद्यालय के आय–व्यय का निरीक्षण कार्य सुविधापूर्वक समय–समय पर समिति द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए ताकि विद्यालय विकास योजना बनाते समय विद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों पर आवश्यकतानुसार ध्यान दिया जा सके।

5 अधिनियम द्वारा निर्धारित समय पर विद्यालय विकास योजना तैयार किया जाना चाहिए।

6 सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण लेने हेतु अवश्य सम्मिलित होना चाहिए, ताकि सदस्यों द्वारा अधिनियम के तहत् प्राप्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन उपयुक्त ढ़ंग से किया जा सके।

lanHkZ xzaFk

Aggrawal, Y. & Jha, M.M. (2001). *Primary education in rural Haryana: Perception of village communities.* New Delhi, NUEPA.

Betagiri, B.T. (2003). *A critical study of role and functioning of VEC and SDMCs Working in Karnataka with special Reference to Dharwad District.* Unpublished dissertation, New Delhi, NUEPA.

Bhattacharya, S. (2001). *Functioning of village education committee: A study of selected village education committee in Ghunchua cluster of Marigaon district, Assam.* Unpublished dissertation, New Delhi, NUEPA.

Duggle, N. (2005). *A study of Bhagidari yojna in Sarvodaya School in Delhi.* Unpublished dissertation, New Delhi, Jamia Millia Islamia.

Ganpati, (2007). *Role and function of school development and monitoring committee in school development in Uttarkannada district of Karnataka.* Unpublished dissertation, New Delhi. N.C.E.R.T.

Kumar, M. (2007). *A Study of the effectiveness of School Management Committee in management of secondary school of Bihar.* Unpublished dissertation, New Delhi, Jamia Millia Islamia.

Mohite, C. N. (2000). *Functioning of Village Education Committee in Maharashtra.* Unpublished dissertation, New Delhi. NUEPA.

Rathinam, R.S. (2008). *A study of educational Management of elementary and middle school headmasters in Tiruchirapalli district*. Unpublished dissertation, Bharathidasan University, Tiruchirapalli.

Yousuf, M. A. (1995). *Role of community participation in compulsory primary education in Bangladesh.* Unpublished doctoral dissertation, New Delhi. NUEPA.

अग्निहोत्री, पी0 एवं रस्तोगी, डी0 के0 (2011). ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका एवं उनका उत्तरदायित्व. परिप्रेक्ष्य वर्ष 18, अंक 3, पृ0 सं0 65–94।

रॉव के0 एस0 (1999). डी0 पी0 ई0 पी0 की गतिविधियां सम्बन्धित जागरूकता तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति का विद्यालय संबंधी सुधार में योगदान. Cited by Buchanna, P., Hyderabad: University College of education Osmania University.